59/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 59/2016 अनवानी 1–सहीराम पुत्र लालुराम जाति कुम्हार नि0 2 के.एस.आर तहसील सूरतगढ 2–रामप्रताप बनाम 1–राधेश्याम पुत्र गोपीराम जाति अग्रवाल नि0 1 सदर बाजार श्रीगंगानगर 2–काशीराम 3–मनोहरी देवी 4–श्योपारी 5–शिशपाल 6–हंसराज वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीगण के अभिभाषक के अधिकार पत्र पर श्री दलबारसिंह बराड़ अभिभाषक उपस्थित है। प्रार्थी सहीराम स्वयं उपस्थित है। अप्रार्थी राधेश्याम के अभिभाषक श्री सुभाष मिढा उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण एवं प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी राधेश्याम के अभिभाषक श्री सुभाष मिढा का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 107/2014 अनवानी राधेश्याम बनाम काशीराम आदि धारा 53, 88 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी सहीराम व प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 107/2014 अनवानी राधेश्याम बनाम काशीराम आदि धारा 53, 88 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

453 21/02/17

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर